Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 106-2017/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 20 जून, 2017
(29 ज्येष्ठ, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6) (केवल हिन्दी में)	349–350
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग –I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जून, 2017

संख्या लैज. 6/2017.– दि हरियाणा आधार (टारगैटिड डिलिवॅरि आफ फाइनैनसिअल एण्ड अदर सबसिडिज बेनिफिटस एण्ड सर्विसज) ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 13 जून, 2017, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6

हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017

हरियाणा राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों की पहचान सिद्ध करने के एकमात्र सबूत के रूप में आधार संख्या का प्रयोग करते हुए सुशासन के रूप में दक्ष, पारदर्शी और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्ष्यित परिदान हेतु, जिसके लिए व्यय पूर्णतः राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाता है तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।

(3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारम्भ से किसी ऐसे उपबन्ध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबन्ध के प्रारम्भ से निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''सरकारी एजेंसी'' से अभिप्राय है, सरकार द्वारा स्वामीत्वाधीन तथा नियंत्रित स्थानीय निकायों और किसी अन्य निकाय सहित हरियाणा राज्य में किसी केन्द्रीय या राज्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय और इसमें ऐसे निकाय भी शामिल हैं जिनकी संरचना और प्रशासन मुख्य रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित हैं ;

(ख) ''प्रसुविधा'' से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, नकद या वस्तु के रूप में, दिया गया कोई फायदा, दान, इनाम, राहत या भुगतान और इसमें ऐसी अन्य प्रसुविधाएं भी शामिल हैं, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित की जाएं;

(ग) ''केन्द्रीय अधिनियम'' से अभिप्राय है, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 18) ;

(घ) ''संचित निधि'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की संचित निधि ;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

(च) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(छ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी रूप में दी गई कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं भी शामिल हैं, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित की जाएं ;

(ज) ''सहायिकी'' से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, नकद या वस्तु के रूप में, दी गई कोई सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग और इसमें ऐसी अन्य सहायिकियां भी शामिल हैं, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित की जाएं।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और केन्द्रीय अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः केन्द्रीय अधिनियम में दिए गए हैं।

कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं इत्यादि की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का सबूत।

3. सरकार या सरकारी एजेंसी, किसी सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा, जिसके लिए व्यय संचित निधि या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा स्थापित किसी निधि के भाग रूप में से निकासी या प्राप्ति के रूप में उपगत किया जाता है, की प्राप्ति के लिए किसी शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकती है कि ऐसे व्यक्ति का अधिप्रमाणन कराया जाए या आधार संख्या धारण करने का सबूत दे या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसको कोई भी आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करेगा :

परन्तु जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तब तक व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रस्थापित किया जा सकता है।

स्कीमों की अधिसूचना

4. सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर और उसके बाद, समय–समय पर, स्कीमों, सहायिकियों, प्रसुविधा या सेवाओं, जिनके लिए आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान का अधिप्रमाणित सबूत होगी, की सूची अधिसूचित करेगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

5. किसी बात, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

6. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

7. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनअसंगत ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55427—L.R.—H.G.P., Chd.